रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 204] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

सं. 20/2015 - सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 256(अ).- सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, उन सामग्रियों को, जिनका आयात विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.06 की दृष्टि से क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आवश्यकता के लिए एक वैध अग्रिम प्राधिकार (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त प्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा जो वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा के प्रति भारत में किया गया हो, एतद्वारा, उस पर लगने वाले उस सम्पूर्ण सीमा शुल्क से जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उस सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, रक्षोपाय शुल्क, संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क, और प्रतिपाटन शुल्क जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा क्रमश: 3,8ख, 8ग और 9क के अंतर्गत लगाये गये हैं निम्नलिखित शर्तो के अधीन छूट प्रदान करती है, यथा,—

(i) कि आयात की मात्रा और उसके मूल्य को नामे (डेबिट) किए जाने के लिए निकासी के वक्त उक्त प्राधिकार को उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

(ii) कि उक्त प्राधिकार निश्चित निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) के संबंध में जारी किया जाता है तथा उसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए,—

(क) आयातक का नाम और पता और समर्थनकारी विनिर्माता का भी नाम और पता ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार व्यापारी निर्यातक को जारी किया गया है; और

(ख) निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के बाद जहां आयात किया जाता है तो उस स्थिति में परिणामी उत्पाद के निर्यात के शिपिंग बिल के नम्बर और तारीखे और निर्यात का वर्णन, मात्रा और मूल्य; या

(ग) ऐसे मामलों में जहां आयात निर्यात संबंधी निर्यात्वों को पूरा किए जाने के पहले किया जाता है, तो आयाति सामग्री का विवरण लागत बीमा किराया मूल्य और अन्य विशेषताएं और प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट निर्यात उत्पाद समूह के अंतर्गत आने वाले परिणामी उत्पादों के निर्यात का विवरण, मात्रा और फ्री आन बोर्ड मूल्यः

बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 (i) तथा 4.12 (ii) में संदर्भित निविष्ट के संबंध में उक्त प्राधिकार में आयात के लिए मंजूर सामग्री क्रमश: उसी विशिष्ट नाम या विवरण अथवा मात्रा की होगी जैसे कि परिणामी उत्पाद के निर्यात में प्रयुक्त सामग्री है। निर्यातकर्ता इन विवरणों की उद्घोषणा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में करेगा:

बशर्ते और भी कि विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 4.45 (ख) में विनिर्दिष्ट निविष्टियों के विषय में, तकनीकी विशेषता, गुणवत्ता और विवरण आयात के समय में घोषित किया जाएगा और उक्त प्राधिकार में अनुमति प्राप्त सामग्री की तकनीकी विशेषता, गुणवत्ता और विवरण वही होना चाहिए जो सामग्री परिणामी उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त हुई है या होगी:

बशर्ते यह भी कि निर्यात कर्त्ता, शिपिंग बिल में, परिणामी उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त सामग्री की तकनीकी विशेषता, गुणवत्ता और विवरण को घोषित करेगा;

(iii) कि यदि आयात, निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के पहले किया जाता है तो आयातित सामग्री की निकासी के समय आयातकर्ता बंध पत्र, उस जमानती या प्रत्याभूति के साथ, उस रूप में तथा उस राशि का भरेगा जो सीमा-शुल्क उपायुक्त या सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करें जिसके द्वारा वह, अपने को इस बात से वचनबद्ध करेगा कि वह उस आयातित सामग्री पर लगाये जाने वाले शुल्क इसमें निहित छूट के बिना के बराबर की राशि का भुगतान, उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ कहे जाने पर कर देगा जिसके बारे में इस अधिसूचना में वर्णित शर्तो को पूरा नहीं किया गया है;

(iv) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के पश्चात आयात किया जाता हे तो उस स्थिति में यदि सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट का लाभप्राप्त किया जा चुका है तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के निकासी के समय उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंध पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने में शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जायेगा और वह उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है:

बशर्ते कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर निहित छूट के बिना लगने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करता है, तो आयातित सामग्री की इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी निकासी की जा सकती है और इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त सीमा शुल्क पर वह सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का लाभ पाने का पात्र होगा;

(v) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है और यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम-(2) के अंतर्गत दी गई सुविधा या सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत सेनवेट का लाभ नहीं लिया है और आयातकर्ता उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को उनकी संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण भी सौप देता है तो आयातित सामग्री की शर्त (iv) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी निकासी की जा सकती है;

(vi) यह कि आयात और निर्यात उन समुद्री बंदरगाहों, विमानपत्तनों अथवा इनलैंड कंटेनर डिपों के माध्यम से अथवा उन भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के जरिए से जिनका उल्लेख दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/2015-सीमा-शुल्क की सारणी 2 में किया गया है अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं:

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(vii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.36 के अंतर्गत स्थापित प्राइवेट बाण्डेड वेयर हाउसेस से आयातित सामग्री की सोर्सिंग किये जाने की अनुमति होगी;

(viii) कि ऐसे परिणामी उत्पादों का निर्यात करके, जो कि भारत में विनिर्मित हो, जो कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट हो और जिसके बारे में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम (2) के अंतर्गत सुविधा प्राप्त न की गई हो, उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट निर्यात संबंधी दायित्वों को (मूल्य और मात्रा दोनों की दृष्टि से) उक्त प्राधिकारण में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर पूरा किया जाय जिसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमति प्रदान करें:

बशर्ते कि एडवान्स्ड इन्डरमीडिएट प्राधिकार धारक विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.05 (ग) (ii) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात संबंधी दायित्वों को निभा सकता है:

(ix) कि आयातकर्ता निर्यात संबंधी दायित्वों के निर्वहन का साक्ष्य उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिये, दायित्वों को पूरा करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के साठ दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो उपायुक्त, सीमा-शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा-शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति प्रदान करें, प्रस्तुत करता है;

(x) छूट प्राप्त सामग्री का निर्यात दायित्वों को पूरा किये जाने या ऐसी सामग्री की पुनः पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से निस्तारण या उपयोग नहीं किया जायेगा और इस प्रकार पुनः पूर्त सामग्री का किसी व्यक्ति को न तो अंतरण ही किया जायेगा और न ही उसकी विक्री ही की जायेगी।

बशर्ते कि उक्त सामग्री ऐसे कार्यकर्ता को प्रसंस्करण हेतु हस्तांतरित की जा सकती है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उन प्रासंगिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करते हैं जो ऐसे कार्य के लिए सामग्री का हस्तांतरण किये जाने की अनुमति देने के लिए जारी किये गए हैं:

बशर्ते और भी कि कोई भी हस्तांतरण जाब वर्क के लिए उन ईकाईयों को नहीं किया जायेगा जो अधिसूचना सं. 32/1999-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई,1999, 33/1999-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999, 39/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 जुलाई, 2001, 56/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 57/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 49/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 10 जून, 2003, 50/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 10 जून, 2003, 56/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 जून, 2003, 71/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 सितम्बर, 2003, 8/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 जनवरी, 2004 और 20/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 की दृष्टि से उत्पाद शुल्क लगाये जाने से क्षेत्र आधारित छूट के लिए हकदार है;

(xi) कि किसी निर्यातक विनिर्माता या निर्यातक व्यापारी को जारी किये गये उक्त प्राधिकार के संबंध में, इस अधिसूचना के अनुसार आयातकर्ता के लिए जो भी बंधपत्र भरना जरुरी होगा वह निर्यातक विनिर्माता या निर्यातक व्यापारी, जैसी भी स्थिति हो, और उसको समर्थन देने वाले विनिर्माता द्वारा संयुक्त रूप से भरा जायेगा जो दोनो को संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्य करेगा कि वे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करेंगे।

(xii) यह भी कि आयात की गई सामग्री के संबंध में रक्षोपाय शुल्क, संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क से छूट उपलब्ध नहीं होगी -

(क) अग्रिम प्राधिकार या वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति के लिए;

(ख) निर्यातान्मुखी यूनिटों अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों अथवा इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को की गई माल की आपूर्ति के लिए;

(ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल प्राधिकार के अंतर्गत माल की आपूर्ति के लिए;

(घ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों (घरेलू फ्रेट कंटेनर विनिर्माता) द्वारा मैरिन फ्रेट कंटेनरों की आपूर्ति के लिए जहां ऐसे कंटेनर भारत से बाहर छः महीने की अवधि अथवा सीमा शुल्क, उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क, सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर निर्यात किए जाते हैँ;

(ड.) यू एन अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा वित्त पोषित परियोजना हेतु अथवा उनके अधिकारिक उपयोग हेतु दिनांक 28.8.1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शर्तो के अनुसार आपूर्ति के लिए।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए,-

(I) ''शुल्क योग्य माल'' से अभिप्राय उस माल से है जिसपर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जिसे छूट प्राप्त नहीं है और जिस पर 'शून्य' दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

(II) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापर नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(III) "प्रक्रिया पुस्तिका " से अभिप्राय प्रक्रिया पुस्तिका, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(IV) ''विनिर्माण'' का वही अभिप्राय है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.31 में दिया गया है।

(V) ''सामग्री'' से अभिप्राय निम्न से है,-

(क) कच्चे माल, घटक, मध्यवर्ती, उपभोग योग्य, उत्प्रेरक या उस भाग से है जो परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरूरी होते हैं;

(ख) अनिवार्य पुर्जों जो प्राधिकार मूल्य के 10% तक सीमित है और परिणामी उत्पादों के साथ-साथ जिसका निर्यात जरुरी होता है;

(ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरुरी ईधन;

(घ) पैकेजिंग सामग्री जो कि परिणामी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरुरी है;

(VI) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(VII) ''विशिष्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट'' से अभिप्राय ऐसे सांविधिक लेखा-परीक्षक या चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से है जो कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत अथवा राज्य सरकार के बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत आयातकर्ता के वित्तीय दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करता है।

[फा.सं.605/55/2014-डी बी के]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2015

No. 20/2015 – Customs

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India, against a valid Advance Authorisation for Annual Requirement (hereinafter referred to as the said Authorisation) with actual user condition issued by the Regional Authority in terms of Paragraph 4.06 of the Foreign Trade

Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as Customs Tariff Act) and from the whole of the additional duty, safeguard duty, transitional product specific safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under sections 3, 8B, 8C and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely:-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the quantity and value of imports;

(ii) that the said authorisation is issued with respect to Standard Input Output Norms (SION) fixed and bears,-

(a) the name and address of the importer and the supporting manufacturer in cases where the authorisation has been issued to a merchant exporter; and

(b) the shipping bill number(s) and date(s) and description, quantity and value of exports of the resultant product in cases where import takes place after fulfillment of export obligation; or

(c) the description, Cost Insurance Freight value and other specifications of the imported materials and the description, quantity and Free on Board value of exports of the resultant product covered under an export product group specified in the Hand Book of Procedures, in such cases where import takes place before fulfillment of export obligation:

Provided that in respect of inputs referred in paragraphs 4.12(i) and 4.12(ii) of the Foreign Trade Policy, the material permitted to be imported in the said authorisation shall be of the specific name or description or quantity, respectively, as the material used in the export of the resultant product. The exporter shall declare these particulars in the shipping bill or bill of export:

Provided further that in respect of the inputs specified in paragraph 4.45 (b) of the Hand Book of Procedures of the Foreign Trade Policy, the technical characteristics, quality and specifications shall be declared at the time of import and the material permitted in the said authorisation shall be of the same technical characteristics, quality and specifications as the materials used (or to be used) in the export of the resultant product:

Provided also that the exporter shall give declaration with regard to the technical characteristics, quality and specifications of materials used in the export of resultant product, in the shipping bill/ bill of export;

(iii) that in respect of imports made before the discharge of export obligation, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials;

(iv) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, if facility of CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer or from a specified chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2004;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or of CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (iv);

(vi) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No.16/ 2015-Customs dated 01.04.2015 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(vii) that sourcing of the imported materials from Private Bonded Warehouses set up under paragraph 2.36 of the Foreign Trade Policy would be allowed;

(viii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorisation and in respect of which facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 has not been availed:

Provided that an Advance Intermediate authorisation holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to exporter in terms of paragraph 4.05 (c) (ii) of the Foreign Trade Policy;

(ix) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(x) that the exempt materials shall not be disposed of or utilized in any manner except for discharge of export obligation or for replenishment of such materials and the materials so replenished shall not be sold or transferred to any other person:

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions prescribed in the relevant Central Excise notifications permitting transfer of materials for job work:

Provided further that no such transfer for purposes of job work shall be effected to the units located in areas eligible for area based exemptions from the levy of excise duty in terms of notification Nos. 32/1999-Central Excise dated 08.07.1999, 33/1999-Central Excise dated 08.07.1999, 39/2001- Central Excise dated 31.07.2001, 56/2002- Central Excise dated 14.11.2002, 57/2002- Central Excise dated 14.11.2002, 49/2003- Central Excise dated 10.06.2003, 50/2003- Central Excise dated 10.06.2003, 56/2003- Central Excise dated 25.06.2003, 71/03-Central Excise dated 09.09.2003, 8/2004- Central Excise dated 21.01.2004 and 20/2007- Central Excise dated 25.04.2007;

(xi) that in relation to the said authorisation issued to a manufacturer exporter or merchant exporter, any bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the manufacturer exporter or merchant exporter as the case may be and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification;

(xii) that the exemption from safeguard duty, transitional product specific safeguard duty and anti-dumping duty shall not be available in respect of material imported-

(a) for supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation;

(b) for supply of goods to Export Oriented Unit or Software Technology Parks or Electronic Hardware Technology Parks or Biotechnology Parks;

(c) for supply of goods against Export Promotion Capital Good (EPCG) Authorisation;

(d) for supply of marine freight containers by 100% Export Orients Unit (domestic freight container - manufacturers) where said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be; and

(e) for supply for official use or to the projects funded by UN or International Organisation in terms of Notification No. 108/95-Central Excise dated 28.08.1995.

Explanation.- For the purposes of this notification,-

(I) "Dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

(II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;

(III) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedures 2015-20 published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide public notice No. 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;

(IV) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.31 of the Foreign Trade Policy;

(V) "Materials" means

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) mandatory spares within a value limit of ten per cent. of the value of the authorisation which are required to be exported along with the resultant product;

(c) fuel required for manufacture of resultant product;

(d) packaging materials required for packing of resultant product;

(VI) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation under the said Act;

(VII) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Sales Tax or the Value Added Tax Act of the State Government.

[F. No. 605/55/2014-DBK]

SANJAY KUMAR,Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.